416

संख्याः 345 /VII-1/61–ख/2014

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
उद्योग विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 18 मार्च, 2016**

विषयः भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड के लेखाशीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग–02–खानों तथा विनियमन तथा विकास–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान–आयोजनेत्तर (अनुदान सं० 23) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4087/लेखा/पुनर्विनियोग/आयोजनेत्तर/2015–16 दिनांक 20 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में खनन प्रशासन का अधिष्ठान आयोजनेत्तर पक्ष की योजना के अन्तर्गत कुल **₹ 24.88 लाख (₹ चौबीस लाख अट्ठासी हजार मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न–बी०एम० 9 में अंकित बचतों से उनके सम्मुख अंकित मदों में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम० 5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को प्रपत्र बी०एम० 8 के माध्यम से वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन कर किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों का तथा कय संबंधी शासनादेशों में दी गई व्यवस्था व स्टोर परचेज नियमावली का पालन किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान सं० 23 के लेखाशीर्षक –2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग–00–आयोजनेत्तर–02–खानों तथा विनियमन तथा विकास–001–निदेशन तथा प्रशासन (लघुशीर्षक 003 के स्थान पर)–03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान योजनान्तर्गत के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी०एम०–9 के कॉलम संख्या–1 में दर्शायी गई मदों की बचतों से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–875(NP)/XXVII(2)/2016 दिनांक 17 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–उक्तानुसार बी०एम०–9

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव

संख्याः 345 (1) / VII-1/ 2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी०एस० भाकुनी)
उप सचिव

२१६८

प्रपत्र बी०एम०–9 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई

अनुदान संख्या – 23
लेखाशीर्षक–
मुख्य शीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
उप मुख्य शीर्षक–02–खानों का विनियमन तथा विकास
लघु शीर्षक–001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर)
उप शीर्षक–03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान (आयोजनेत्तर)
विस्तृत शीर्षक–2853–02–001–03–00–00

वित्तीय वर्ष– 2015–16 (धनराशि ₹ हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में (आयोजनेत्तर)	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अंतरण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग–00–आयोजनेत्तर–02–खानों तथा विनियमन तथा विकास–001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर) 03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान–00						2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग– 00–आयोजनेत्तर 02–खानों तथा विनियमन तथा विकास–001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर)–03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान–					
						08–कार्या०व्यय	220	410	190	190	410
						11–लेखन साम०	200	253	53	53	253
						13–टेली०व्यय	270	290	20	20	290
01–वेतन	29000	11104	1000	1000	28000	16–व्याय०सेवा	2100	3975	1875	1875	3975
03–महंगाई भत्ता	34800	15307	1488	1488	33312	29–अनुरक्षण	50	150	100	100	150
						47–कम्प्य०अनु०	75	325	250	250	325
योग	63800	26411	2488	2488	61312	योग	2915	5403	2488	2488	5403

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नही किया गया है।

संख्या: .... दिनांक...................

सेवा में,
महालेखाकार (ए एण्ड ई)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

हस्ताक्षर.........................
नाम व पदनाम :– श्रीधर बाबू अद्दांकी,
प्रशासनिक विभाग :– अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग (खनन), उत्तराखण्ड शासन
संख्या : .... दिनांक..............................

हस्ताक्षर.............................
नाम व पदनाम.............................
वित्त विभाग.........................अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन,

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. निदेशक, उद्योग विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, भोपालपानी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक कोषागार 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त (व्यय नियन्त्रक) अनुभाग–2

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

संख्या 875 (NP)/XXVII(2)/2016 2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी ओबेराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव